कालाखो बांध में जल पूजन व कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया

दौसा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत मंगलवार को कालाखो बांध पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की उपस्थिति में जल पूजन, कलश यात्रा, पौधारोपण एवं जन-जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कालाखो बांध पर विधिवत जल पूजन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं अच्छी वर्षा की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई तथा जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण भी किया गया। अपने संबोधन में मंत्री रावत ने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा वर्षा जल के अधिकतम संचयन और जल स्त्रोतों के संरक्षण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के संरक्षण एवं सिंचाई

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कालाखो बांध पर जल पूजन व पौधारोपण किया ।

व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के माध्यम से कालीसिंध, चंबल एवं पार्वती नदियों का जल क्षेत्र तक पहुंचेगा, जिससे दौसा जिले सहित पूर्वी राजस्थान में जल उपलब्धता बढ़ेगी तथा किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को वर्षा ऋतु से पूर्व जल स्त्रोतों, नहरों एवं एनीकटों की आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जल संरक्षण के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिकाधिक पौधारोपण करने का आव्हान करते हुए कहा कि जल और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रैला ने भी जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन एवं पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आव्हान किया।

कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा, अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर

■ ईआरसीपी से दौसा क्षेत्र में मजबूत होगी सिंचाई व्यवस्था, किसानों को मिलेगा भरपूर लाभ : जल संसाधन मंत्री

(लालसोट) मनमोहन मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर मीणा, उपखंड अधिकारी संजू मीणा, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मीणा, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुरेश कठानिया, अधीक्षण अभियंता रमाशंकर शर्मा, अधिशासी अभियंता मांगीलाल मीणा, जिला परिषद सदस्य नीलम गुर्जर, जिला समन्वयक लोकेश शर्मा, जिला संयोजक महेंद्र पीलोडी, सरपंच शंभूदयाल बैरवा, विपिन जैन, गुलाब सिंह बैरवा, जयनारायण मीणा, मुकेश सैनी, महेंद्र चांदा, लेखपाल कसाना, कमलेश जोशी, सरोज मीणा, नवीन शर्मा, बांध के चेयरमैन मानसिंह बुर्जा, जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष एवं सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, महिलाएं एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

संक्षिप्त

कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत

टोंक। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव व राजेंद्र सेन नेशनल कोऑर्डिनेटर का मंगलवार को टोंक आगमन पर जिलाध्यक्ष पंकज यादव के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने राज मिडवे होटल पर उनका माला-साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत-सत्कार किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ हरसहाय यादव का अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरसहाय यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग के हक और सम्मान के लिए हमेशा लड़ती आई है। उन्होने बताया कि कांग्रेस ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण, छात्रवृत्ति और रोजगार के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा तथा संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पंकज यादव ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष का टोंक आना कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करता है।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः804 जाहिर आम-सूचना दिनांकः12.05.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 63 / 189 (MIG-B) का आवंटन श्री अरजन दास छाबड़ा पुत्र श्री आत्माराम छाबड़ा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 866 दिनांक 21-02-1994 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 16.09.2004 को कर दिया गया। श्री अरजन दास छाबड़ा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 01.10.2004 को श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री बख्तीराम को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात श्री रविन्द्र सिंह के निवेदन पर कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 2742 दिनांक 14.06.2005 के द्वारा इनका नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। श्री रविन्द्र सिंह द्वारा उक्त आवास को दिनांक 30.06.2006 को श्रीमती नीलम सक्सेना पत्नी स्व. श्री सुभाष सक्सेना को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती नीलम सक्सेना के निवेदन पर कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 6688 दिनांक 28.03.2007 के द्वारा इनका नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। श्रीमती नीलम सक्सेना द्वारा उक्त आवास को दिनांक 12.10.2022 को श्रीमती पूजा मोटवानी पत्नी श्री आनन्द कुमार मोटवानी को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक जयपुर दशम् के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्रीमती पूजा मोटवानी पत्नी श्री आनन्द कुमार मोटवानी द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती पूजा मोटवानी पत्नी श्री आनन्द कुमार मोटवानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना दिनांक:- 02.06.2026
मैं ब्रज मोहन बागड़ा पुत्र स्व. श्री रामदास बागड़ा अपने पुत्र कुंज बिहारी को अपनी स्व:अर्जित सम्पत्ति दुकान नं. 5, सैक्टर 8, विधाधर नगर से सम्पूर्ण रूप से बेदखल करता हूँ मेरे पुत्र का उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार भविष्य में नही होगा।
जरिये अधिवक्ता 'अनिल बड़गूजर'
कार्यालय: चैम्बर नं. 20, 21, चन्द्र विहार चौपड़ा मैरिज गार्डन के सामने करणी पैलेस रोड, वैशाली नगर मो.9602747837

जन्मतिथि परिवर्तन
मैं मीठालाल गुर्जर पुत्र श्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी हमीदपुरा खण्डवा तह. निवाई मैरी पुत्री ईशिका गुर्जर के दस्तावेजों में त्रुटिवश जन्मतिथि 09.08.2013 हो गई थी, जबकि मेरी पुत्री ईशिका गुर्जर की जन्मतिथि 27.07.2014 है। अब मैने सभी दस्तावेजों में मेरी पुत्री ईशिका की जन्मतिथि 27.07.2014 करवा लिया है।

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री ईशान सिंह राजावत के अधिकार व स्वामित्व का एक आबादी भूमि का पट्टा शुदा भूखण्ड स्थित ग्राम भाटेड, ग्राम पंचायत-दादिया, पंचायत समिति-सांगानेर, जिला- जयपुर, राजस्थान कुल क्षेत्रफल 275.32 वर्गगज है। सर्वप्रथम उपरोक्त आबादी भूमि का पट्टा शुदा भूखण्ड स्थित ग्राम भाटेड, ग्राम पंचायत- दादिया, पंचायत समिति- सांगानेर, जिला- जयपुर, राजस्थान का पट्टा विलेख संख्या-28, दिनांक- 22.07.2013 की अनुपालना दिनांक 06.08.2014 को प्रारूप संख्या- 23-क द्वारा प्रशासन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम श्री जगदीश सिंह के नाम आवंटित किया गया। तत्पश्चात उक्त आबादी भूमि का पट्टा शुदा भूखण्ड को दिनांक- 20.02.2025 को प्रशासन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पुनर्वैध किया गया। जिसका पंजीयन कार्यालय सांगानेर द्वितीय द्वारा दिनांक- 22.04.2025 को पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात श्री जगदीश सिंह ने उपरोक्त वर्णित आबादी भूखण्ड को अपनी पुत्रवधु- श्रीमती सरोज कँवर को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक- 06.05.2025 के द्वारा उपहार में दे दिया। जिसका पंजीयन कार्यालय- सांगानेर द्वितीय, दिनांक 06.05.2025 ईस्वी को पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात श्रीमती सरोज कँवर का दिनांक- 25.04.2026 को स्वर्गवास हो गया। जिनके वारिसानों के रूप में उनकी तीन पुत्रीया एवं एक पुत्र क्रमश:- ज्योति कँवर, पूजा कँवर, नेहा कँवर, एवं ईशान सिंह राजावत अपने- अपने अविभाजित हिस्सो के मालिक हुये। तत्पश्चात ज्योति कँवर, पूजा कँवर, नेहा कँवर ने उपरोक्त आबादी भूखण्ड में अपने-अपने अविभाजित हिस्सो को अपने भाई श्री ईशान सिंह राजावत को जरिये लिखित हल्याग-पत्र द्वारा हकत्याग कर दिया। जिसका पंजीयन कार्यालय सांगानेर द्वितीय, दिनांक 18.05.2026 ईस्वी को पंजीबद्ध किया। तथा अब श्री ईशान सिंह राजावत ने उक्त सम्पत्ति पर ऋण के लिए Sammaan Capital Ltd. में आवेदन किया है। उक्त सम्पत्ति में उपरोक्त वारिसों के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी, वारिस हो का उक्त सम्पत्ति में स्वामित्व के बाबत या उक्त सम्पत्ति को कम्पनी द्वारा बन्धक रखने बाबत किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को आपत्ति व उज्र हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा Sammaan Capital Ltd. द्वारा उक्त सम्पत्ति को रहन कर लिया जावेगा एवम् उसके पश्चात् किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई हक या अधिकार मान्य नही होगा।
अधिवक्ता विवेक गोयल एडवोकेट, मो. 9828433300, 9829099898
ऑफिस नं.-बी-9/10, अक्षत अपार्टमेन्ट, डी-235, बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, राज.

NAME CHANGE

I have changed my name from Ram Kishor to Ram Kishore Choudhary S/o Dhularam Choudhary for all purpose. Resi.:- 1, Ravi Path, Sawai Bagichi, Janta Colony, Jaipur- 302004

I have changed my name Lokesh Kumar to Lokesh Kumar Gupta for all future and legal purpose. Address: 680, Sumer Nagar, Mansarovar Ext. Jaipur 302020

मैंने अपना नाम अनिल अग्रवाल से बदलकर अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नंद किशोर अग्रवाल रख लिया है। निवासी डी-662 मालवीय नगर जयपुर, राजस्थान। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

मैंने अपना नाम अल्ताफ हुसैन से बदलकर शेख अल्ताफ हुसैन कर लिया है। शेख अल्ताफ हुसैन पुत्र लियाकत हुसैन निवासी 3488, जगन्नाथ शाह का रास्ता, मोहल्ला हांडीपुरा।

Army No. 16015580A Nk (Retd.) Lakhan Singh Tanwar S/o Sawai Tanwar R/o Village Post Narhera Dist Jaipur Rajasthan 303105. In army record my daughter' name Tamanna and Date of Birth 14.02.2008 wrongly recorded. Correct name is Tammana Rajput and Date of birth 14.08. 2008. In future known Tamanna Rajput DOB 14.08.2008

नम्बर मिलाइए
8890333139
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

14 जिलों के जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

अलवर। अलवर के निकट ठेकड़ा गांव स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मंगलवार को पुलिस ट्रेनी बैच के दीक्षांत परेड समारोह में पुलिस जवानों ने सेना की तर्ज पर हैरतअंगेज शारीरिक और सामरिक करतब दिखाए। समारोह के मुख्य अतिथि मौजपुर के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) संजीव यादव रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली और ट्रेनी जवानों के अनुशासन, समर्पण व बेहतरीन प्रशिक्षण क्षमता की खुले दिल से सराहना की। यहां प्रदेश के 14 जिलों के 115 जवानों ने करीब 36 महीने की ट्रेनिंग ली। अब उनका दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। जिसमें पुलिस जवानों ने अपनी ट्रेनिंग में सीखे करतब दिखाए। दीक्षांत परेड के दौरान जैसे ही ट्रेनी जवानों ने कदम से कदम मिलाकर मार्चपास्ट निकाला, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जवानों ने अपनी ट्रेनिंग का परिचय देते हुए फील्ड क्राफ्ट, हथियारों को तेजी से खोलने-जोड़ने और सामरिक रणनीतियों का जीवंत प्रदर्शन किया।

दौसा कलक्टर ने सहकारी योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए

दौसा। जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट में जिला सहकारिता विकास समिति (डीसीडीसी) एवं संयुक्त कार्य समिति (जेसीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिला

■ कलक्टर ने ऑर्गेनिक फॉर्मिंग करने वाले काश्तकारों को राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता दिलाने के निर्देश दिए

कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने तथा योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में पैक्स के कंप्यूटरीकरण,

कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने जिला सहकारिता विकास समिति एवं संयुक्त कार्य समिति की बैठक ली।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन, उर्वरक वितरण केंद्रों के विकास, जनऔषधि केंद्रों की स्थापना तथा किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने ऑर्गेनिक फॉर्मिंग करने वाले काश्तकारों को राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि एवं सहकारिता विभाग के समन्वय से कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना, गोदाम निर्माण के लिए भूमि चिन्हीकरण एवं आवंटन, अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन तथा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

सुशासन, पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, ऑडिट एवं निरीक्षण कार्यों की नियमित समीक्षा तथा समितियों के सुदृढ़ संचालन पर चर्चा की गई। बैठक में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों एवं ग्रामीणों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए।

6 अवैध जल कनेक्शन हटाए

टोंक। अधीक्षण अभियंता (एसई) प्रोजेक्ट के निर्देशों के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में पेयजल सप्लाई को दुरुस्त रखने एवं अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए लगातार अवैध जल कनेक्शनों पर कार्यवाही की जा रही है। सहायक अभियंता धर्मराज मीणा के नेतृत्व में टीम ने ग्राम पंचायत बोसरिया के लक्ष्मीपुरा ग्राम में 6 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परियोजना के अधिशाषी अभियन्ता आकाशदीप सिंह गुर्जर ने बताया कि अवैध कनेक्शनों की निरीक्षण कर पहचान की गई।अवैध कनेक्शनकर्ता देवलाल पुत्र मांगी लाल जाट, भंवर लाल पुत्र वैधनाथ जाट, चौथमल पुत्र रतनलाल जाट, लक्ष्मीनारायण पुत्र वैधनाथ जाट, रामलाल पुत्र जगदीश जाट एवं कैलाश पुत्र जगन्नाथ जाट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए दण्डात्मक शुल्क भी लगाया गया। पेयजल लाईन में अवैध कनेक्शनों की पुनावृत्ति ना हो इसके लिए विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अवैध कनेक्शन की पुनरावृत्ति होती है, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

भार बनकर नहीं, उपहार बनकर जीवन व्यतीत करें : विकसंत सागर

निवाई। सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान में मुनि विश्वमित सागर महाराज का निवाई से जहाजपुर के लिए मंगल विहार हुआ। मुनि विश्वमित सागर महाराज निवाई में उपाध्याय विकसंत सागर महाराज संघ से आज्ञा एवं आशीर्वाद

■ मुनि विश्वमित सागर महाराज का निवाई से हुआ मंगल विहार

लेकर अग्रवाल जैन मंदिर से विहार कर गांव सोहेला से टोंक होते हुए जहाजपुर जाएंगे। जहां मुनिश्री भगवान मुनिसुब्रतनाथ के दर्शन करके स्वाध्याय एवं साधना करेंगे।

सुनील भाणजा एवं विमल जौंला ने बताया कि मुनि विश्वमित सागर महाराज जहाजपुर से पद विहार करते हुए वापस निवाई आएंगे। इस दौरान

उपाध्याय विकसंत सागर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया।

श्रद्धालुओं ने भगवान आदिनाथ जी का चित्र अनावरण के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया एवं गुरु पूजन के साथ मंगलाचरण तथा जिनवाणी स्तुति की गई। उपाध्याय विकसंत सागर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम यह मानव पर्याय पाकर पृथ्वी पर भार नहीं उपहार बनें। उन्होंने कहा कि इस जगत में तो सुख और दु:ख रुपी दो धाराएं अविरल प्रवाहित होती रहती है और मानव सुख और दु:ख रुपी हिंडोले में झूलता रहता है।उन्होंने कहा कि संसार में कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जो जीवित मुर्दे के समान है और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मृत्यु के उपरान्त भी अमरत्व को प्राप्त होते हैं।

'महिलाओं को उनके अधिकारों व कानूनों की जानकारी होना आवश्यक'

निवाई। पुलिस थाना में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के तत्वावधान में डाक बंगले में अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक मेरिगटन सोनी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत साथिनों की कार्यशाला आयोजित हुई।

कार्यशाला में महिला अधिकारिता विभाग की सुपरवाइजर मीरा चौधरी ने महिलाओं को लाडो प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा बेटी के जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण होने तक 7 किस्तो में 1.50 लाख रूपए दिए जाते है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उड़ान योजना के अन्तर्गत सेनेट्री पैड दिये जाते है। उद्यम प्रोत्साहन योजना अंतर्गत महिलाओं को बिजनेस के लिए ऋण दिया जाता है। शिक्षा सेतु योजना ड्रॉप आउट योजना द्वारा 10 वीं व 12वीं पास करने के लिए महिलाओं को नि:शुल्क कंप्यूटर

■ ग्राम पंचायत साथिनों की कार्यशाला संपन्न

प्रशिक्षण दिया जाता है। सखी वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुलिस सहायता व अस्थाई आश्रय सहित सभी सहायता प्रदान की जाती है। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की काउंसलर डॉ सुनीता शर्मा व एडवोकेट नीतू सिंह विजय ने घरेलू हिंसा, लेगिंग उत्पीडऩ एवं कार्य स्थल पर होने वाले यौन शोषण के बारे में जानकारी देते हुए महिला हेल्पलाइन, गरिमा हेल्प लाइन नंबर, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन व साइबर क्राइम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों व कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है।

सांसद राव राजेंद्र सिंह ने शाहपुरा में नि:शुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर का निरीक्षण किया

शाहपुरा। सामाजिक सरोकारों के लिए निरंतर कार्यरत रणवीर सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित नि:शुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर का निरीक्षण मंगलवार को जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं तथा सेवा कार्यों का अवलोकन किया।

राव राजेंद्र सिंह ने शिविर की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नि:शुल्क नेत्र उपचार एवं लेंस प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्य और मानव सेवा का कार्य है। उन्होंने रणवीर सेवा समिति द्वारा किए जा रहे जनहित के

जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने नि:शुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर का निरीक्षण का किया।

कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज में नई प्रेरणा प्रदान करते है।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएमओ डॉ विनोद योगी को मरीजों के उपचार, स्वच्छता, सुरक्षा तथा ऑपरेशन के बाद की देखभाल को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर रणवीर सेवा समिति अध्यक्ष विजय चौहान, सचिव अरुण सैनी, उपाध्यक्ष रोहिताश रूंडला, नगर अध्यक्ष अमर सिंह

■ निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएमओ डॉ विनोद योगी को मरीजों के उपचार, स्वच्छता, सुरक्षा तथा ऑपरेशन के बाद की देखभाल को लेकर निर्देश दिए

पलसानिया, महासचिव तरुण गुर्जर, नई संसद का स्वागत किया।

इस अवसर पर सांसद ने कहा कि प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि मरीज शीघ्र स्वस्थ होकर अपने सामान्य जीवन में लौट सकें।

खेल प्रशिक्षण शिविर शुरु

निवाई। शिक्षा विभाग के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेदरिया खुर्द में ग्रीष्मकालीन खो खो खेल प्रतियोगिता का 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रधानाचार्य घनश्याम बुनकर ने बताया कि 15 जून तक आयोजित होने वाले खेल प्रशिक्षण शिविर में 12 छात्र एवं 12 छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

खोया पाया

मेरे आवास 50/381, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर के मूल आवंटन पत्र सख्या 3986/5005220 एवं कब्ज़ा पत्र न. 3986 कहीं खो गया है जो कि प्रदीप कुमार के नाम से जारी है कृपया मिलने पर सूचित करें चमन विजय 9252505699

मेरे मकान 5-च-20 जवाहर नगर जयपुर का मूल कब्जापत्र, डिक्लेरेशन जवाहर नगर में कहीं गिर गया है मिलने पर सूचित करें महावीर राज गेलड़ा 941406 2117

मेरे प्लॉट सं. 33/86 प्रताप नगर, सांगानेर का अलोटमेंट लेटर, पजेशन लेटर कहीं गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें। मधु जैन 9461307706

मेरा मकान 31/41 प्रतापनगर सांगानेर का मूल अदेय प्रमाणपत्र व आवंटनपत्र मुझसे कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे स्वाति लखियानी 9829750511

श्री अग्रवाल सेवा समिति (रजि. 61/ जय/ 1995-96) का मूल रजिस्ट्रेशन एवं विधान, विद्याधर नगर जयपुर के आसपास खो गये है। मिलने पर सम्पर्क करे: शशिकांत अग्रवाल 9414250939

मेरे प्लॉट नम्बर-224, गोविन्दपुरा, सांगानेर, जयपुर का अलाटमेंट लेटर और पजेशन लेटर कहीं खो गया। मिलने पर सूचित करें- शंकर- 9829816993

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 1207 जाहिर आम-सूचना दिनांक :- 01/06/2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 68/329 (HIG), (एरिया 164.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती सुमन कुमार पत्नी श्री बी. कुमार को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 824 दिनांक 29.06.1996 को जारी किया गया। श्रीमती सुमन कुमार के पक्ष में उक्त आवास / फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 13.12.1996 को उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर, के यहां पंजीकृत करवाये गये।
श्रीमती सुमन कुमार द्वारा उक्त आवास/फ्लैट को दिनांक 12.06.2013 के द्वारा 1. श्री संदीप भाटिया पुत्र श्री बी. आर. भाटिया एवं 2. श्रीमती बरखा भाटिया पत्नी श्री संदीप भाटिया को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र को पंजीकृत करवाया गया।
श्रीमती बरखा भाटिया की मृत्यु दिनांक 16.04.2026 को हो जाने के कारण इनके पति श्री संदीप भाटिया पुत्र श्री बी. आर. भाटिया द्वारा स्वयं के 1/2 हिस्से के अतिरिक्त उक्त आवास / फ्लैट को पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है।
अतः उक्त आवास / फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री संदीप भाटिया पुत्र श्री बी. आर. भाटिया का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिये सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दूदू जिला जयपुर राज०
मुकदमा नम्बर 56/22
ममता पुत्री मोहनलाल पत्नी रामपाल जाति जांगिड निवासी छोटा उदयपुर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज० हाल निवासी गिदानी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज०
प्रार्थीया
बनाम
रामपाल पुत्र छोटूलाल जाति जांगिड निवासी छोटा उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
अप्रार्थीया
प्रार्थना पत्र बाबत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 ए हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश की है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए तारीख 29 माह 06 सन् 2026 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह आज तारीख 30 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
तहसीलदार/रीडर ग्रेड-प्रथम
(मोहर अदालत) अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दूदू जिला जयपुर

H.C.J.Part.VII-2 नमूना काबिज फरोख्त
सम्मन वास्ते करारदाद उमर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
नम्बर मुकदमा 823/24
बअदालत सिविल जज (सी.डि.) जिला बिजनौर मुद्दई
अजय देवरा साकिन प्रदीप आदि बनाम साकिन
अदालती सूचना
आदेशानुसार श्री नितेश कुमार सिन्हा सिविल जज (सी.डी.) बिजनौर
मूलवाद 823/2024
अजय कुमार देवरा बनाम प्रदीप कुमार आदि
अजय कुमार देवरा पुत्र श्री मोती सिंह निवासी - मौ. रईसान, कस्बा हल्दौर परगना दारानगर, तहसील व जिला बिजनौर उ.प्र.
बनाम
राजकुमार पुत्र श्री मोती सिंह निवासी जी 17, सुखी विहार, गाँधीपथ वेस्ट, वैशाली उत्सव, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान
हरगाह वादी अजय देवरा के आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 17 माह 07 सन् 2026 ई० बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात करार वाकई वाकिफ किया गया है और जो कुल उमूर अहम मुताल्लिक के मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके पास कोई शख्स हो जो कि जवाब में ऐसे सवालात को दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा को करे और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज पेश करे जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेह के इस्तेमाल करना चाहते हों। आपको इत्तिला दी जाती है अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपको समसुआ और फैसला होगा। दरख्वास्त मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
इत्तिला
1. अगर आपको आदेश हो कि आप गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे तो आप अदालत हाजा से सम्मन बमुराद जारी करा सकता है जो गवाह हाजिर न हो यह जबरन हाजिर करा दिया जाय और दस्तावेज को -किसी गवाह में पेश कराने का आम इत्तेफाक रखते हो वह इसके पेश कराया जाये बशर्ते कि आप खर्चा अदालत में दाखिल करके इस उमर को दरख्वास्त गुजराइये।
2. अगर आप मुत्तालिया मुद्दई का तसलीम करते तो आपको लाजिम कि रुपया मय खर्चा नालिश अदालत करे ताकि कार्यवाही इजराय डिगरी जो आपकी जान माल या दोनों पर ही करना पड़े।
नियत दिनांक 17.7.2026 प्रबंधक
सिविल जज (सी.डि.) बिजनौर (उ.प्र.)

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर
प्रकरण संख्या : 1635/2025
विष्णु मीणा व अन्य
बनाम
कमला देवी व अन्य
- श्रीमती हनुमानी देवी मीणा पत्नी स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा
- श्रीमती नीतू मीणा पत्नी श्री मुकेश मीणा, पुत्री स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा
- सुश्री टीना मीणा पुत्री स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा, समस्त निवासीगण-ए-86, बस्सी सीतारामपुरा नेहरू नगर, जयपुर (राजस्थान)

..... प्रतिवादीगण :-
न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 1635/2025 ''विष्णु मीणा व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य''विचाराधीन है।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस अदालत की तजबीज माह 09.06.2026 वास्ते समाअत इस अपील के मुकर्रर की गई अगर खुद आप या आपके वकील व और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जवाब व सवालात करने का माजज हो हाजिर न आवेगा तो उसकी समाअत और की जावेगी। आज तारीख 02.06.2026 मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया।
दस्तखत जज
रीडर
(मोहर न्यायालय) न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर
प्रकरण संख्या : 1634/2025
विष्णु मीणा व अन्य
बनाम
कमला देवी व अन्य
- श्रीमती हनुमानी देवी मीणा पत्नी स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा
- श्रीमती नीतू मीणा पत्नी श्री मुकेश मीणा, पुत्री स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा
- सुश्री टीना मीणा पुत्री स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा, समस्त निवासीगण-ए-86, बस्सी सीतारामपुरा नेहरू नगर, जयपुर (राजस्थान)

..... प्रतिवादीगण :-
न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 1634/2025 ''विष्णु मीणा व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य''विचाराधीन है।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस अदालत की तजबीज माह 09.06.2026 वास्ते समाअत इस अपील के मुकर्रर की गई अगर खुद आप या आपके वकील व और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जवाब व सवालात करने का माजज हो हाजिर न आवेगा तो उसकी समाअत और की जावेगी। आज तारीख 02.06.2026 मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया।
दस्तखत जज
रीडर
(मोहर न्यायालय) न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर
प्रकरण संख्या : 1633/2025
विष्णु मीणा व अन्य
बनाम
कमला देवी व अन्य
- श्रीमती हनुमानी देवी मीणा पत्नी स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा
- श्रीमती नीतू मीणा पत्नी श्री मुकेश मीणा, पुत्री स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा
- सुश्री टीना मीणा पुत्री स्वर्गीय श्री रघुवीर उर्फ रघुनाथ मीणा, समस्त निवासीगण-ए-86, बस्सी सीतारामपुरा नेहरू नगर, जयपुर (राजस्थान)

..... प्रतिवादीगण :-
न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 1633/2025 ''विष्णु मीणा व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य''विचाराधीन है।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस अदालत की तजबीज माह 09.06.2026 वास्ते समाअत इस अपील के मुकर्रर की गई अगर खुद आप या आपके वकील व और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जवाब व सवालात करने का माजज हो हाजिर न आवेगा तो उसकी समाअत और की जावेगी। आज तारीख 02.06.2026 मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया।
दस्तखत जज
रीडर
(मोहर न्यायालय) न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

कृषि विपणन राजस्थान
कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), चौमूं जिला जयपुर
E-mail:kums.chomu@rajasthan.gov.in
Tel.No. 01423-220047
क्रमांक: 241-52 दिनांक :- 20.05.2026
नकारा सामान की निलामी सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में भण्डार के नकारा सामान (लोहे का एवं अन्य सामान) / अनुपयोगी सामान की कार्यालय प्रागंण में जहां हैं, जैसा है के अनुसार खुली निलामी दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 11.30 बजे कार्यालय प्रागंण में की जायेगी। निलामी में भाग लेने हेतु धरोहर राशि 25000 रु० अग्रिम जमा करवाने होगें। निलामी संबंधी जानकारी हेतु वैबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते है। निलामी संबंधी शर्ते व विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति चौमूं में ली जा सकती हैं।
(सुबे सिंह रावत)
सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) चौमूं जयपुर

SBI Life
अपने लिए. अपनों के लिए.
सूचना
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) एतद्वारा व्यवसायिक भवन, लीज आधार पर भूस्वामियों से निम्न व्यापक संभावनाओं की पूर्ति हेतु प्रस्ताव निविदाएं आमंत्रित करता है।
1. भवन सभी ऋण भार से स्वतंत्र एवं तुरंत कब्जे हेतु उपलब्ध होना चाहिए ।
2. भवन कामर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन की व्यवस्था सहित व्यावसायिक भवन होना चाहिए एवं अग्निशमक एनओसी, व्यवसायिक सर्टिफिकेट, भवन का बीमा जिसमें समुचित और बाधा रहित बिजली एवं जल वितरण, साइनेज का स्थान, पार्किंग एवं आधुनिक फायर फाईटिंग सिस्टम, कारों की पर्याप्त पार्किंग इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए ।
3. परिसर मानसरोवर, जयपुर के प्रमुख क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर होना चाहिए।
4. भवन का कारपेट एरिया लगभग 1855 वर्गफिट होना चाहिए।
इच्छुक निविदाकर्ता निविदा का प्रारूप को हमारी वेबसाइट www.sbilife.co.in (https://www.sbilife.co.in/en/services/download-centre- RFP forms) से प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म तकनीकी निविदा एवं प्राइस बिड अलग-अलग सील बंद लिफाफो में ''दी रीजनल डायरेक्टर, जयपुर, एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तल, एआरजी कॉर्पोरेट पार्क, प्लॉट नंबर 8 एवं 9, गोपालबाड़ी, जयपुर, राजस्थान - पिन - 302001'', फोन : 0141-4256600 दिनांक 09.06.2026 तक या पहले पहुँच जाने चाहिए।
एसबीआई लाइफ के पास किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
दिनांक:- 03.06.2026 स्थान- जयपुर
उक्त प्रदर्शित किया गया ट्रेड लोगों भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है तथा लाइसेंस के अंतर्गत एसबीआई लाइफ द्वाराउपयोग किया जा रहा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय: नटराज, एमवी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069 आईआरडीएआई पंजीकरण सं. 111, सीआईएन: L99999MH2000PLC129113 वेबसाइट: www.sbilife.co.in ई-मेल: info@sbilife.co.in टॉल फ्री नं.: 1800 267 9090 (ग्राहक सेवा समय : 24X7)